

रिपोर्ट पटवारी...वरखेडा तहसील...चाकसू जिला जयपुर

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही है। ग्राम वरखेडा
की खाता संख्या 55,76,94,174,175,176 में प्रार्थी का नाम जय.कि.शि.रा.ग.
दर्ज है, जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दस्तावेजों में सही नाम जय.कि.शि.रा.ग.ल.रा.
दर्ज है। खाते में दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपभ्रम है। अतः ग्राम
की खाता संख्या 55,76,94,174,175,176 में दर्ज नाम जय.कि.शि.रा.ग.
के बजाय सही इन्द्राज जय.कि.शि.रा.ग.ल.रा. दर्ज किया जाना उचित है।

Sharma 123
हस्ताक्षर पटवारी वरखेडा

भू-अभिलेख निरीक्षक

कार्यालय तहसीलदार...चाकसू जिला जयपुर

भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम की
जमावन्दी की खाता संख्या 55 में दर्ज नाम
के बजाय सही नाम दर्ज किया जाना
उचित है।

के.एस.एस./के.एस.एस./115

दि. 6/6/23

जीमान उपखण्ड अधिकारी जयपुर

हस्ताक्षर तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर
(राहत केंद्र वरखेडा)

प्रकरण संख्या 97 / 2023

दिनांक 06/06/23

5857
19/6/23

आदेश

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार अस्नेद पाकसू की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों
के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम वरखेडा
की जमावन्दी की खाता संख्या 55,76,94,174,175,176 में दर्ज नाम/इन्द्राज जय.कि.शि.रा.ग.
के बजाय सही नाम/इन्द्राज जय.कि.शि.रा.ग.ल.रा. दर्ज करने
की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार अस्नेद पाकसू आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में
अमल दरामद कर पालना करें।

123
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)